

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

दिनांक: 02.04.2019

प्रथम अपील सं.
संदर्भ संचिका सं.

CIC/AA/A/2019/78
CICOM/A/2019/00064
CICOM/R/2019/00107

अपीलकर्ता :

श्री सतीश कुमार अग्रवाल,
12-13, श्याम विहार,
सुभाष नगर, कमला नगर,
आगरा - 282005.

निर्णय की तारीख: 02.04.2019

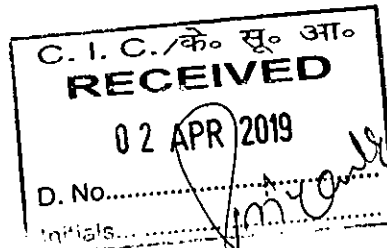
आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	22.01.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	01.03.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री के. एल. दास
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	13.03.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	103/25.03.2019 (10313/19.03.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 22.01.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग के द्वितीय अपील आदेश सं. CIC/YA/C/2016/000173 के अनुपालन से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री के. एल. दास, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना प्रदान की गई है। प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि सी.जी.एच.एस. कार्यालय द्वारा आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है।

2. अपीलकर्ता का आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रथम अपील आवेदन तथा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना का अवलोकन किया गया तथा अधोहस्ताक्षरी के निजी सचिव द्वारा अपीलकर्ता से उनके मोबाइल पर दिनांक 29.03.2019 को संपर्क करने पर अपीलकर्ता द्वारा बताया गया कि "आयोग के आदेश का अनुपालन अभी तक नहीं किया गया है, आयोग के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करवाया जाए, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं कहना है"। इस संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी के निजी सचिव द्वारा अपीलकर्ता को बता दिया गया कि द्वितीय अपील के मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



(आर. के. सिंह)

अपर सचिव ए

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-2616229

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

02/04/19